न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंशुल आमेरिया (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 56/2022 राजस्व प्रार्थनापत्र

उनवान

1 नटवर लाल पुत्र मोहन लाल जाति शर्मा निवासी ए–446 राज टेलर के पास आजाद नगर भीलवाडा तह व जिला भीलवाडा ।

.... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।

..... अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :::– प्रार्थीगण मय अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार मण्डोवरा

पेरोकार सरकार....................विपक्षी क्रम 1

–:: निर्णय ::–

दिनांक 27.09.2022

प्रार्थी की ओर से एक प्रापत्र काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधित नियम 251(क) दिनांक 27.04.2022 को प्रा0पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया की प्रार्थी के खातेदारी हक अधिकार की कृषि भूमि वाके ओज्याडा पटवार हल्का ओज्यादा तहसील हमीरगढ़ एवं जिला भीलवाड़ा में प्रार्थी के खातेदारी हक अधिकार के कृषि आराजी खाता संख्या नया 242 पुराना 376 खसरा संख्या 1833 / 1 रकबा 0. 1012 हैक्टयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.1012 हेक्टयर है जो कि राजस्व रिकॉड में प्रार्थी के नाम पर दर्ज है। वर्णित आराजीयात पर आने जाने का एक मात्र रास्ता जो कि ओज्याडा से छाछेड़ी आम रोड से कच्चा रास्ता वर्तमान मे विद्यमान है राजस्व रिकोर्ड में रास्ता दर्ज कर दिया गया है लेकिन इसके आगे का रास्ता जो कि मौके पर विपक्षी की आराजी नं0 1835 जो कि राजस्व रिकोर्ड में बिलानाम दर्ज है की पूर्व दिशा की मेड से होकर प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजी नं0 1833 / 1 पर आते जाते हैं जिससे प्रार्थी अपनी बैलगाडी संज ट्रैक्टर आदि पिछले कई वर्षो से लाते ले जाते है जो कि मोके पर 20 फीट चौडा रास्ता विद्यमान है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी की प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजीयात पर आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है प्रार्थी की उक्त आराजीयात मे आने जाने का अत्यधिक आवश्यक एक मात्र रास्ता उक्त कदीमी रास्ता ही है, इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है लेकिन आराजी नं0 1835 जो कि बिलानाम दर्ज होने से व रास्ता के रूप मे दर्ज नहीं होने से प्रभाव शाली व्यक्तियों द्वारा कब्जा कर रास्ते को बन्द करने की कोशिश की जा रही है इस पर प्रार्थी ने विपक्षी राज्य सरकार जरिये सक्षम अधिकारी महोदय के समक्ष दिनांक 27/01/2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2022.10.11 17:12:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)

को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त रास्ते को राजस्व रिकोर्ड में दर्ज कराने हेतु निवेदन किया गया लेकिन सक्षम अधिकारी द्वारा साफ तोर पर मना कर दिया गया इस कारण से प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के के अलावा अन्य कोई विकलप नही रहा है। उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड नक्शे मे दर्ज नही है । उक्त रास्ता बाबत मोके से रिपोर्ट तलव फरमाई जाकर के नियमानुसार राजस्व रेकार्ड नक्शे मे दर्ज करने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। उक्त आराजीयात सरहद ओज्यादा पटवार हल्का ओज्याडा तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाडा राजस्थान में स्थित होने से यह प्रार्थना पत्र आप न्यायालय श्रीमान् के क्षेत्र एवं श्रवणाधिकार का होने से आप न्यायालय के समक्ष पेश है। विपक्षीगण को सूचनार्थ सम्मन प्रोसेर्स नकल प्रार्थनापत्र साथ में पेश है। अत श्रीमान् से निवेदन है कि आपके माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए की उपधारा 1 के अधीन सरहद ओज्याडा पटवार हल्का ओज्याडा तहसील हमीरगढ एवं जिला भीलवाडा में प्रार्थीया के खातेदारी हक अधिकार के कृषि आराजी नं०: 1833/1 रकबा 0.1012 हैक्टयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.1012 हैक्टयर है पर आने जाने का एक मात्र रास्ता जो कि ओज्याडा से छाछेडी आम रोड से कच्चा रास्ता होकर जो कि वर्तमान में राजस्व रिकोर्ड मे रास्ता दर्ज कर दिया गया है लेकिन इसके आगे का रास्ता जो कि राजस्व रिकोर्ड में विपक्षी संख्या 01 की आराजी नं0 1835 जो षकि बिलानाम दर्ज है की पूर्व दिशा की मेड से होकर प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजी नं0 1833/1 पर आते जाते हैं जो कि वर्तमान मे 20 फीट मोके पर विद्यमान हैं जिसे राजस्व रिकार्ड में कायम किये गये नये रास्ते को राजस्व रिकोर्ड मे वनवशे मे दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे तथा इसके लिये सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि / भूमि के बदले भूमि का भुगतान करने का प्रार्थी, सदैव तैयार है।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया गया प्रस्तुत प्रा0पत्र न्यायालय में दिनांक 28.04.2022 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी को वजय जाहिर हेतु नोटिस जारी किया गया विपक्षी पैराकार सरकार की तरफ से दिनांक 22.08.2022 को जवाब प्राप्त हुआ जवाब में अंकित किया की वर्णित तथ्य व मोका पर्चा व रिपोर्ट पटवारी गिरदार दिनांक 07.03.2022 के अनुसार मोके पर वादी की खातेदारी भूमि पर आने-जाने हेतु अन्य मार्ग नही होना बताया अतः नियमानुसार निर्धारित राशि राजकोष में जमा करवा कर रास्ता दिया जाता है तो विपक्ष को कोई आपत्ति नही है।

इस संबंध में तहसीलदार हमीरगढ के पत्रांक 128 दिनांक 29.3.2022 की रिपोर्ट अनुसार हल्का पटवारी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट एवं मोका पर्चा तथा राजस्व नक्शे की प्रति व नजरी नक्शे की प्रति तैयार कर उसमें प्रार्थी के खातेदारी कृषि भूमि में खसरा नम्बर 1835 में प्रस्तावित रास्ते को लाल स्याही से रोशन करते हुये अपना प्रतिवेदन भिजवाया तहसीलदार की ओर से मोका रिपोर्ट प्राप्त होने पर अधिवक्ता को दिनांक 27.09.2022 को बहस सूनी गई प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपुर्वक अवलोकन किया गया पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अधिकार अभिलेख जमाबंदी सम्वत् 2075-78 खाता संख्या 1 में अंकित आराजी खसरा संख्या 1835 किता

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2022.10.11 17:42:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़ (राज.)

01 रकबा 0.0380है. भूमि प्रार्थी के नाम खातेदारी हक अधिकार से अभिलेखित है। उक्त आराजी भू–भाग में प्रार्थी को आवागमन के लिए रास्ते हेतु भूमि देने में तहसीलदार हमीरगढ ने कोई आपत्ति नही होना अपने पत्र में उल्लेखित किया है। राजकीय बिलानाम भूमि में भी राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2013 में एक परिपत्र जारी कर यह आदेश पारित किया की किसी भी खातेदार को अपने खाते की कृषि भूमि में आवागमन हेतु राजकीय बिलानाम भूमि में से रास्ते हेतु भूमि दी जा सकती है। तथा रास्ते के उपयोग के लिए दी जाने वाले भूमि का प्रतिकर स्वरूप राशि का भुगतान सम्बन्धित खातेदार को डी.एल.सी दर की राशि से दुगुनी राशि का भुगतान करना होगा। चुकी प्रार्थी रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि के लिए प्रतिकर स्वरूप भुगतान करने में सहमत है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रा0पत्र स्वीकार योग्य ठहराया जाता है। अतएव

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रा0पत्र काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधित नियम 251(ए) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रा0पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को अपने खाते की कृषि भूमि ग्राम औज्याडा पटवार हल्का औज्याडा भू0अ0नि0 औज्याडा तह0 हमीरगढ में स्थित खसरा संख्या 1833/1, रकबा 0.1012 है0 में आवागमन हेतु ग्राम ओज्याडा की आराजी संख्या 1835 रकबा 0.9104है0 में से 0.0380है0 पूर्वी मेड पर 16 फीट रास्ता स्वीकृत किया जाता है। उक्त रास्ते की भूमि का कुल क्षेत्र तहसीलदार हमीरगढ की रिपोर्ट के अनुसार 0.0380है0 है। प्रार्थी उक्त रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि के लिए डी.एल. सी दर की दुगुनी राशि राजकोष में तहसीलदार हमीरगढ के माध्यम से जमा करावें राशि जमा होने पर तहसीलदार हमीरगढ उक्त रास्ते को राजस्व अधिकार अभिलेख जमाबंदी व राजस्व नक्शे में इसका लाल स्याही से तरमीम करने की सुनिश्चिता करें। खर्चा फरकीन अपना–अपना वहन करें। आदेश की की प्रति पालना हेतु तहसीलदार हमीरगढ को प्रेषित की जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 27.09.2022 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(अंशुल आमेरिया)
उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ
जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2022.10.11 17:12:13 IST
Reason: SelfAttested